FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम खेतड़ी

सांवल राम बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा 136 L.R. Act नं. 153/2021 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
05/10/2021	प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार खेतड़ी से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आज यह पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत ग्राम पंचायत सेफरागुवार में आयोजित कैम्प में पेश हुई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार खेतड़ी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार ग्राम सेफरागुवार स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 के खाता संख्या 302 व 301 में प्रार्थी का नाम सांवता राम पुत्र गणेशाराम के स्थान पर सांवल राम पुत्र गणेशाराम दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो। निर्णय [illegible] में सुनाया गया। पत्रावली [illegible] व दर्ज नम्बर से [illegible] होकर [illegible] दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जि. झुन्झुनूं (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.06.27 15:54:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner